न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 103/2016

श्रवण कुमार पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी 15 ए.एस. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीविजयनगर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री प्रमेन्दर सिंह
2. पैरोकार राज

निर्णय दिनांक: 17-7-19

1. यह अपील तहसीलदार (भू.अ.) श्रीविजयनगर का आदेश दिनांक 05.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 15 ए.एस.ए. तहसील श्रीविजयनगर प0 न0 218/470 के किला नं. 6/0.253 है0 भूमि महिया वल्द फता के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। जिसका महिया के द्वारा कार्यालय उप जिला कलक्टर श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से जरिये सपरिवर्तन आदेश क्रमांक: रीडर/2014/भू0रू0/1662–6(दिनांक 17.10.2014 के द्वारा आवासीय भूमि में संपरिवर्तन करवाई गई। वर्तमान में भूमि आवासीय गै0मु0 आबादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसकी पुष्टि इंतकाल संख्या 207 में दर्ज खाना सं0 5 में दर्ज पृविष्टि से होती है। अपीलार्थी ने महिया वल्द फता कौम बावरी साकन मोटासर से उसकी आवासीय भूमि चक 15 ए.एस.ए. तहसील श्रीविजयनगर के प0न0 218/470 के किला नं0 6/0.253 है0 भूमि खरीद जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01.05.2015 के द्वारा खरीद की थी। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि जरिये बैयनामा के खरीद किये जाने के बाद उक्त भूमि बैयनामा पटवारी हल्का 15 ए.एस.ए. का प्रस्तुत किया। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण दर्ज कर दिया परन्तु सरपंच द्वारा बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी इंतकाल स्वीकृत नहीं किया गया। समयावधि व्यतीत होने के बाद यह इंतकाल वास्ते स्वीकृति तहसीलदार भू.अ. श्रीविजयनगर को प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार भू. अ. श्रीविजयनगर ने दिनांक 05.06.2015 को उक्त नामान्तरण बिना कोई उचित कारण अंकित किये अस्वीकृत कर दिया, जबकि पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक बैयनामा इंतकाल रजिस्टर में इन्द्राज किया तथा हल्का गिरदावर के द्वारा रिपोर्ट भी की गई आदेश तहसीलदार श्रीविजयनगर दिनांक 05.06.15 एकपक्षीय बिना अपीलांट को सुने गलत व विधि विरूद्ध होने से अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

2. अपील संख्या 103/2016 पर दर्ज की गई। एवं रेस्पोडेंट को जरि सम्मन तलब किया गया । अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री प्रमेन्दर सिंह हाजिर हुए व रेस्पोडेंट की तरफ से राज पैरोकार उपस्थित आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी ने महिया वल्द फता कौम बावरी साकिन मोटासर से उसकी आवासीय भूमि चक 15 ए.एस.ए. तहसील श्रीविजयनगर के प0न0 218/470 के किला नं0 6/0.253 है0 भूमि खरीद जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01.05.2015 के द्वारा खरीद की थी। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि जरिये बैयनामा के खरीद किये जाने के बाद उक्त भूमि बैयनामा पटवारी हल्का 15 ए.एस.ए. को प्रस्तुत किया। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण दर्ज कर दिया परन्तु सरपंच द्वारा बार बार अनुरोध करने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

के बावजूद भी इंतकाल स्वीकृत नहीं किया गया। समयावधि व्यतीत होने के बाद यह इंतकाल वास्ते स्वीकृति तहसीलदार भू.अ. श्रीविजयनगर को प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार भू.अ. श्रीविजयनगर ने दिनांक 05.06.2015 को उक्त नामान्तरण बिना कोई उचित कारण अंकित किये अस्वीकृत कर दिया, जबकि पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक बैयनामा इंतकाल रजिस्टर में इन्द्राज किया तथा हल्का गिरदावर के द्वारा रिपोर्ट भी की गई। आदेश तहसीलदार श्रीविजयनगर दिनांक 05.06.15 एकपक्षीय बिना अपीलांट को सुने विधि विरूद्ध है जिसे निरस्त किया जाकर बैयनामा का नामान्तरण अपीलांट के नाम से दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

4. पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि भू राजस्व अधिनियम के नियमों में परिवर्तन हो चुका है। उसी के आधार पर यह इंतकाल खारिज किया गया है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजों का गंभीरता से अवलोकन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि के रूपांतरण) नियम 2007 का अध्ययन किया जिसमें राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 6(26) राजस्व 6/2014/33 दिनांक 06.10.16 के नियम 12 के उपनियम 5 में यह उल्लेखित किया गया है कि कृषि भूमि को अकृषि में रूपान्तरण करवाने के बाद उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार अपने कार्यालय में एक अलग इंतकाल रजिस्टर खोलेगा जिसमें उक्त भूमि के किस्म रूपांतरण संबंधी प्रविष्टि कर उक्त भूमि का इंतकाल दर्ज करेगा। प्रकरण में भी अपीलांट द्वारा किस्म रूपांतरित की गई भूमि का इंतकाल चढाने हेतु पटवारी के पास आवेदन किया, व तहसीलदार ने दिनांक 05.06.2015 को उक्त इंतकाल खारिज कर दिया। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीविजयनगर का उक्त आदेश दिनांक 05.06.15 राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 6(26) राजस्व 6/2014/33 दिनांक 06.10.16 के नियम 12 के उपनियम 5 के अनुकूल प्रतीत होती है।

अतः तहसीलदार (भू.अ.)9 श्रीविजयनगर का आदेश दिनांक 05.06.2015 नियमों के अनुकलू होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाती है। एवं तहसीलदार (भू.अ.) श्रीविजयनगर का निर्णय दिनांक 05.06.2015 यथावत रखा जाता है। अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी स्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रणवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner